सं0सं0–1 / विविध–35 / 2013(खंड–2)– 1146 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक–25/ 11 /2014

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना (Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited, Patna) के लिये विभिन्न कोटि के कुल 80 (अस्सी) पदों के सृजन के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या–466(12), दिनांक–19 मई, 2010 के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–617 के अंतर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम का गठन किया गया है तथा इस निगम को बिहार वित्त नियमावली के नियम, 129 के अंतर्गत सेवाएँ एवं निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिये "राज्य कार्य संगठन" नामित किया गया है। इस निगम के कार्याधिकार अंतर्गत गुणवत्तायुक्त दवा तथा उपकरण की अधिप्राप्ति, इनका भंडारण एवं आपूर्ति तथा सप्लाई चेन प्रबंधन, विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निर्माण कार्य करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन शामिल है।

2. निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बोर्ड की 8वीं बैठक (अगस्त, 2013) के दौरान विभिन्न स्तरों के 120 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इन 120 पदों में से प्रथम चरण में 40 पदों के सृजन की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा निगम के गठन के समय 16 पदों के सृजन की स्वीकृत भी सरकार द्वारा प्रदत्त है। निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मात्रा एवं विस्तार एवं भविष्य में निगम को दिए जाने वाले कार्यों की संभावनाओं को देखते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. तद्नुसार, सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना हेतु निम्नरुपेण कुल 80 (अस्सी) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

पद स्तर	सृजित होने वाले पदों की संख्या	संविदा राशि रेन्ज प्रतिमाह (रूपये हजार में)
चीफ जेनरल मैनेजर	1	100–120
जेनरल मैनेजर	2	80–100
डेप्युटी जेनरल मैनेजर	5	55–80
असिस्टेंट जेनरल मैनेजर	8	45–70
मैनेजर	16	30–55
असिस्टेंट मैनेजर	23	20–30
असिस्टेंट	16	15–20
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / समकक्ष	9	10–15
योग–	80	

क्रमशः

4. सृजित होने वाले इन 80 पदों पर वार्षिक कुल रू. 259.80 लाख का व्यय संभावित है जिसका वहन निगम द्वारा अपने आंतरिक स्त्रोत से किया जायेगा।

5. सृजित किये जाने वाले इन 80 (अस्सी) पदों पर नियुक्ति खुले बाजार से विज्ञापन के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। कुछ पदों को सरकार में कार्यरत विभिन्न स्तर के कर्मियों के द्वारा भी भरा जा सकता है। सभी पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार का आरक्षण रोस्टर नियमानुसार लागू किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—16.09.2014 के मद संख्या—16 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति संचिका सं0— 1/विविध—35/2013 (खंड—2) के पृष्ठ— 16 /टि0 पर प्राप्त है।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—1/विविध—35/2013(खंड—2)—1146 (i)/स्वा0, पटना, दिनांक— 25/ 11 /2014

प्रतिलिपिः— मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मा0 स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार/वित्त आयुक्त, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य—सह—कार्यपालक निदेशक के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी कोषांग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी—1, 12 एवं संबंधित सहायकों को अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।